

अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-12/2016

- सुमित कुमार पुत्र दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी साबुआना नाबालिग जरिये हेमा बेवा कालूराम वादी वली कुदरती निवासी साबुआना तहसील टिब्बी। -वादी बनाम्
- कस्तुरीदेवी पुत्री कालूराम पत्नी चन्दू जाति कुम्हार निवासी बनवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- ओमीदेवी पुत्री कालूराम पत्नी साहबराम जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी।
- सरस्वती देवी पुत्री कालूराम पत्नी बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी कालुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- गुडडी देवी पुत्री कालूराम पत्नी औम जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारों वाली तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
- शारदा उर्फ सुखजीतकौर पुत्री सुल्तान पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़। -प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अब्दुल सत्तार जोईया वकील वादीगण मिन जाभिन मुदई प्रतिवादी संख्या 5 शारदा उर्फ सुखजीतकौर मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है:-

- (क)-वादी संख्या 1 सुमित कुमार पुत्र दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी साबुआना को प्राप्त आराजी:-चक नं.3 केएचआर के कि.नं. 12/4/0.020, 19/4/0.039, 8/3/0.081, 13/2/0.154, 22/4/0.027 कुल 0.321 है. नहरी।
- (ख)-प्रतिवादी संख्या 1 कस्तुरीदेवी पुत्री कालूराम पत्नी चन्दू जाति कुम्हार निवासी बनवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा को प्राप्त आराजी:-चक नं.3 केएचआर के कि.नं. 11/3/0.039, 20/3/0.039, 21/3/0.039, 12/1/0.068, 19/1/0.068, 22/1/0.068 कुल 0.321 है. नहरी।
- (ग)-प्रतिवादी संख्या 2 ओमीदेवी पुत्री कालूराम पत्नी साहबराम जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी को प्राप्त आराजी:-चक नं.3 केएचआर के कि.नं. 8/2/0.099, 12/3/0.058, 19/3/0.039, 13/1/0.099, 22/3/0.026 कुल 0.321 है. नहरी।
- (घ)-प्रतिवादी संख्या 3 सरस्वती देवी पुत्री कालूराम पत्नी बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी कालुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा को प्राप्त आराजी:-चक नं.3 केएचआर के कि. नं. 12/2/0.107, 19/2/0.107, 22/2/0.107 कुल 0.321 है. नहरी।
- (ङ)-प्रतिवादी संख्या 4 गुडडी देवी पुत्री कालूराम पत्नी औम जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारों वाली तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर को प्राप्त आराजी:-चक नं.3 केएचआर के कि.नं. 11/1/0.107, 20/1/0.107, 21/1/0.107 कुल 0.321 है. नहरी।
- (च)-प्रतिवादी संख्या 5 शारदा उर्फ सुखजीतकौर पुत्री सुल्तान पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ को प्राप्त आराजी:-चक नं.3 केएचआर के कि.नं. 11/2/0.107, 20/2/0.107, 21/2/0.107 कुल 0.321 है. नहरी।

उपर्युक्तानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर व खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुद्लिक.....निल.....वाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक ..2..1..12..1..0...अदा करें।

वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.1.12.1.0 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी